रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED NO. (D.)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT OF INDIA

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 186] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 12, 1979/भाद्र 21, 1901
No 186] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 12, 1979/BHADRA 21, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 63-ईटीसी(पी एन)/79

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1979

विषय —50 प्रतिशत से अधिक रजत तत्व वाले पूर्णतया अथवा मूल्यता रजत के विनिर्माण एवं उत्पादों का निर्यात ।

मि. सं. 21/116/79-ई-1.—50 प्रतिशत से अधिक रजत तत्व वाले पूर्णतया अथवा मूल्यता रजत के विनिर्माण एवं उत्पादों की निर्यात नीति को संशोधन आदेश सं. ई(सी)ओ, 1977/ए एम (106) के साथ पढ़ी जाने वाली सार्वजनिक सूचना सं. 30-ईटीसी(पी एन)/79 दोनों दिनांक 30-3-79 द्वारा परिवर्तित किया गया था और उनके निर्यात की अनुमति "पात्रता के आधार पर" दी जानी थी । उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना की कंडिका 4 में एक और व्यवस्था की गई थी कि इस प्रकार के सभी मामलों पर केवल "पात्रता के आधार पर" ही निर्णय लिया जाएगा ।

2. अब यह निश्चय किया गया है कि 50 प्रतिशत से अधिक रजत तत्व वाले पूर्णतया अथवा मूल्यता रजत के विनिर्माण एवं उत्पादों के निर्यात के सम्बन्ध में पूर्व नियंत्रण सौदों के मामलों पर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर ही विचार किया जाएगा :

1. जहां विदेशी क्रेताओं द्वारा 30 मार्च, 1979 तक अपरिवर्तनीय साखपत्र खोल दिए गए थे और जो अब भी वैध है अथवा यदि समाप्त हो गए है तो 30 मार्च, 1979 से पूर्व निर्बंध कर दिए गए थे और जहां 30 मार्च 1979 को अथवा इससे पूर्व माल के निरीक्षण के बाद माल के पोत-लदान के लिए पोत-लदान बिल सीमा-शुल्क द्वारा पास कर दिए गए थे ।

2 जहा विदेशी क्रेता द्वारा विदेशी मुद्रा में निर्यातक के नाम में बैंक को भुगतान किया गया है और बैंक ने निर्यातक के लेखे में 30 मार्च, 1979 को अथवा इससे पूर्व ऐसा भुगतान प्राप्त कर लिया था और दस्तावेज एवं पोत-लदान अग्रिम निधि की प्राप्ति के पश्चात् पोतलदान के लिए संविदा में यदि कोई विशिष्टकृत हो तो उसकी शर्तों और समय के अनुसार पूरे कर दिए गए हैं या कर दिए जाएंगे ।

3 सम्बद्ध निर्यातकों को चाहिए कि वे इस सार्वजनिक सूचना के अनुसरण में अपने दावे ऐसे सौदों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ सम्बद्ध क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी को भेज दें । निर्यातकों को चाहिए कि वे मूल दस्तावेज रजिस्ट्री/एडी डाक द्वारा इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर भेज दें जिससे कि लाइसेंस कार्यालय उपर्युक्त कंडिका 2 में संकेतित शर्तों के आधार पर निर्यात लाइसेंस जारी करने की पात्रता का सुनिश्चय कर सके ।

केवल उन्हीं मामलों पर ध्यान दिया जाएगा जहां ऐसे दस्तावेज समय के भीतर दाखिल कर दिए गए हैं और वे मामले जिनमें दावों को स्वीकार कर लिया जाता है उनके लिए पोतलदान प्रभावी करने के लिए 15 दिन तक का समय दिया जाएगा । लेकिन, ऐसे साक्ष्य को प्रस्तुत करने का अर्थ यह नहीं है कि सम्बद्ध व्यक्ति को निर्यात लाइसेंस या निर्यात के लिए अनुमति प्रदान करने का अधिकार प्राप्त हो गया है ।

सी वेंकटरमन, मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

(Department of Commerce)

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 63-ETC(PN)/79

New Delhi, the 12th September, 1979

Sub Export of manufactures and products wholly or mainly of silver with more than 50 per cent silver contents

F. No. 21/116/79-E I—Export policy of manufactures and products wholly or mainly of silver with more than 50 per cent silver contents was changed vide Public Notice No 30-ETC(PN)/79 read with Amendment Order No. E(C)O. 1977/AM(106) both dated 30-3-79 and their export was to be allowed 'On Merits' A provision was also made in Paragraph 4 of the aforesaid Public Notice that all such cases will be decided "On Merits" only.

2 It has now been decided that such cases of pre-control commitments in respect of export of manufactures and products wholly or mainly of silver with more than 50 per cent silver contents will be considered subject to fulfilment of the following conditions

1 Where irrevocable Letters of Credit had been opened by the foreign buyers upto 30th March, 1979 and which are still valid or if expired had been revalidated prior to 30th March 1979 and where shipping bills had been passed by the customs for shipment of goods after examination of goods on or before 30th March, 1979

2 Where payment has been made to a bank by the foreign buyer in foreign currency in the exporters' favour and the bank had received such payment on or before 30th March, 1979 on the exporters' account and the documentation and shipment has been or will be made in accordance with the terms, conditions and timings, if any, specified in the contract for shipment after the receipt of the funds in advance

3 The exporters concerned should send their claims in pursuance of this Public Notice to the regional licensing authority concerned alongwith documentary evidence relied upon in support of such commitments The exporters should send the original documents by Registered Post A.D. within a period of 15 days from the date of issue of this Public Notice to enable the licensing offices to determine the eligibility for issue of an export licence on the conditions indicated in Paragraph 2 above Cognizance will be taken only of cases where these documents have been filed in time and cases in which claims are accepted will be given time upto 15 days to effect shipments. Submission of such evidence shall not, however, confer any right on the person concerned to the grant of any export licence or permission to export

C. VENKATARAMAN,

Chief Cotroller of Imports & Exports.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979